न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 25/2023 एल.आर.एक्ट

GCMS No. 2023/32

1. बबीता पत्नी श्री गणेश जाति गहलोत निवासी अलख सागर कुंए के पास, तहसील व जिला बीकानेर।

– अपीलान्ट

बनाम

1. नत्थूराम पुत्र श्री किशनाराम जाति सुथार निवासी करमीसर तहसील व जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, बीकानेर।
3. लक्ष्मी देवी चौधरी पत्नी सत्यनारायण चौधरी, नाले के पास, सत्यनारायण मंदिर के पीछे, पारीक चौक, बीकानेर।

– रेस्पोन्डेंट

उपस्थितः श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया। अभिभाषक अपीलांट
श्री भागीरथ मूंड अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
श्री विनोद पुरोहित अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 3

निर्णय

दिनांक 27.01.2026

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76(1) के अन्तर्गत न्यायालय जिला कलक्टर, बीकानेर के निर्णय दिनांक 09.01.2023 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादगत भूमि वाके मोजा करमीसर के राजस्व खसरा नंबर 88/62 तादादी 23.07 कच्चा बीघा उपनिवेशन खसरा नंबर 251 तादादी 14.0 बीघा पक्के पर अपीलांट की पुश्तैनी कब्जे काश्त एवं रिकॉर्डेड कृषि भूमि रही है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बीकानेर ने अपने आदेश दिनांक 28.10.1996 द्वारा उक्त वादगत भूमि का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिए। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बीकानेर आदेश दिनांक 28.10.1996 विरूद्ध अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बीकानेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बीकानेर ने अपने निर्णय दिनांक 09.01.2023 द्वारा अपीलांट की अपील को खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बीकानेर के उक्त आदेश दिनांक 09.01.2023 से व्यथित होकर अपीलांट्स ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि उक्त वादगत भूमि अपीलांट के पूर्वज शिवप्यारी के ससूर श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री पोकर जाति माली के नाम से स्थित है तथा मौके पर अपीलांट का लगातार कब्जा काश्त है। उक्त वादगत भूमि की गलत रूप से तहसीलदार बीकानेर द्वारा खारिजशुदा टीसी आवंटन भूमि की सीधे ही दिनांक 28.10.1996 को रेस्पोडेन्ट को खातेदारी जारी कर दी जिसकी प्रथम अपील जिला कलक्टर बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत हुई, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने जैर अपील आदेश में ना तो अपील को स्वीकार किया ना ही खारिज किया और नॉनस्पीकिग आदेश पारित कर दिया जो निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में अंकित किया कि धारा 75 एलआर एक्ट 1956 के तहत खातेदारी अधिकार मिलने के बाद ही इसकी समीक्षा नही की जा सकती, जो कि ऐसा आदेश कानून के विपरित एवं बिना माईण्ड अप्लाई किये किया है। अपीलांट का वादगत भूमि पर ईसवी सन्1955 अर्थात सम्वत् 2012 से पूर्व से कब्जे काश्त है तथा राज्य सरकार के आदेशानुसार ग्राम करमीसर के डी—कोलोनाईज होने पर सम्वत 2045 सन 1988 में पुनः पूर्व स्थिति यानि वादगत भूमि पुनः नाम दर्ज कर दी गई। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना माईण्ड अप्लाई किये रिकॉर्ड का अध्ययन किये, अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना आदेश दिनांक 28.10.1996 पारिक करने में भारी भूल की है। अपीलाधीन भूमि संवत्2012 से पूर्व की होने से उपनिवेशन विभाग द्वारा टीसी आवंटन के समय आवंटन योग्य शुद्ध रकबा राज श्रेणी की भूमि नही थी। इसक बावजूद भी अपीलांअ के पूर्वजों के नाम व धारण को भूमि गलत तरीके से आवंटन की गई, जो कि बाद में निरस्त होने व नवीनीकरण नहीं होने, तथा मोके पर कब्जा काश्त नही होने के आधार पर रिकॉर्ड पर रेस्पोडेनट का नाम नहीं रहा, फिर भी तहसीलदार द्वारा दिनांक 28.10.1996 को खातेदारी आदेश जारी कर दिए। जा नियम विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बीकानेर का आदेश दिनांक 28.10.1996 राजस्थान भू—राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम 1970 के नियम 18 के तहत जारी किया गया है, जो कि अपीलाधीन भूमि पर ना तो लागू होते है, और ना ही जैर अपील आदेश को जारी करने की तहसीलदार को शक्तियां प्राप्त हैं। इस प्रकार तहसीलदार बीकानेर का आदेश दिनांक 28.10.1996 का खातेदारी आदेश ने केवल नियम/अधिनियम के विरूद्ध पारित किया गया है बल्कि उक्त आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर जारी करने से निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर जैर अपील आदेश जिला कलक्टर बीकानेर का आदेश दिनांक 09.01.2023 व तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर का आदेश दिनांक 28.10.1996 को निरस्त फरमाया जावें।

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी लिखित बहस एवं दौराने बहस में कथन किया है कि खातेदार नत्थूराम पुत्र किशनाराम की कृषि भूमि उपनिवेशन खसरा नंबर 251 तादादी 15 बीघा पुख्ता व उपनिवेशन खसरा नंबर 255 मिन तादादी 30 बीघा कुल तादादी 45

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

बीघा पुख्ता आवंटन बारानी स्थित रही थी। उक्त खातेदारी कृषि भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में इंतकाल संख्या 117 स्वीकृत हो गया। उक्त भूमि नत्थूराम द्वारा संतोष देवी पत्नी जालूराम को विक्रय की गई। संतोष देवी द्वारा उपनिवेशन खसरा नंबर 251 तादादी 15 बीघा पुख्ता भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लक्ष्मी देवी को दिनांक 04.05.2010 को विक्रय की गई। उस दिन से लक्ष्मी देवी का अपनी खरीदशुदा कृषि भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में कथन किया था कि शिवप्यारी द्वारा एक वसीयत दिनांक 24.10.2008 को उसके हक निष्पादित कर रखी है इस कारण वह अदालत मातहत में आवश्यक पक्षकार थी। जबकि सही तथ्य यह है कि शिवप्यारी के ससुर प्रताप सिंह को ईंट भट्टों हेतु कुछ शर्तों के तहत खसरा नंबर 154/88 तादाद 6.15 बीघा व खसरा नंबर 152/88 तादादी 12.10 बीघा कृषि भूमि प्रदान की गई थी। उक्त कृषि भूमि केवल ईंट भट्टा संचालित करने हेतु दी गई थी। जिसका काश्त से कोई संबंध नही था। प्रताप सिंह ठेकेदार को गैरमुमकिन या नाकाबिल काश्त भूमि ही प्रदान की गई थी। प्रताप सिंह उक्त भूमि के कभी भी खातेदार काश्तकार नही थे। जब वे ही उस भूमि के खातेदार काश्तकार नही थे तो उनके वारिसान को भी किसी प्रकार का खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार हासिल नही है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में कथन किया था कि शिवप्यारी द्वारा एक वसीयत उसके हक निष्पादित की गई है उस वसीयत के पैरा संख्या 2 में उल्लेख किया गया था कि भूमि गैर खातेदारी है। कानूनन गैर खातेदारी भूमि की वसीयत नही की जा सकती। इसलिए शिवप्यारी को उक्त कृषि भूमि में किसी प्रकार के कोई हित प्राप्त नही होते थे। इस संबंध में अभिभाषक ने नजीरात आरआरटी 2008(2) पेज 117, डीएनजे 2011 (3) पेज 1087, आरबीजे 2011 पी–693(एचसी), आरआरडी 2014 पेज 123 एवं आरआरटी 2017(1) पेज 209 प्रस्तुत की। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील स्पष्टरूप से मियाद बारह प्रस्तुत की थी। जिस आदेश को निरस्त करने की अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष शिवप्यारी अपीलांट द्वारा की गई वह 28.10.1996 का था एवं अपीलांट द्वारा जुलाई 2012 में प्रस्तुत की गई। यानि 16 वर्ष बाद प्रस्तुत की गइ जबकि कानून में उक्त आदेश की अपील करने की मियाद 30 दिन निर्धारित हैं अपीलांट ने जानबूझकर मियाद कन्डोन किये जाने हेतु आदेश जानकारी दिनांक 07.07.2012 का अंकन किया है जबकि उक्त खातेदारी की जानकारी अपीलांट को शुरू से थी। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मियाद कन्डोन करने का आदेश विधि विरूद्ध दिया गया है। इस बिन्दू पर नजीरात आरआरडी 1955 पेज 252, डीएनजे 1999 पेज 56, आरआरडी 1980 एनयूसी 20, आरआरटी 2004 (2) पेज 1219, आरआरटी 2004(1) पेज 576, आरआरटी 2014(1) पेज 154, आरआरटी 2011(1) पेज 614, आरआरटी 2007 (2) पेज 939, आरबीजे (7) 2000 पेज 470, (1)आरबीजे 2000 पेज 71, एआईआर 1998 एससी पेज 2276 पेरा 6, आरआरटी 2006(2) पेज 1171 एवं आरआरडी 1995 पेज 456 प्रस्तुत

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

की। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय मे लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत अपीलाधीन खातेदारी आदेश का निरस्त करने की अपील प्रस्तुत की गई थी जबकि लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत किसी भी खातेदार की खातेदारी का निरस्त नही किया जा सकता हैं। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार का अंकन किये जाने के आदेश प्रदान करें।

4— हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, न्यायिक दृष्टांत, अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बीकानेर ने उक्त प्रकरण को तहसीलदार(राजस्व) बीकानेर को पुनः जांच हेतु प्रति प्रेषित किया जिसके विरूद्ध अपीलांट ने अपील इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार(राजस्व) बीकानेर ने अपने आदेश दिनांक 28.10.1996 द्वारा नाथूराम पुत्र श्री किसनाराम जाति सुथार को ग्राम करमीसर के खसरा नंबर 251 में 15 बीघा व 255 में 29 बीघा चार बिस्वा कुल रकबा 44 बीघा 04 बिस्वा कृषि भूमि की खातेदारी प्रदान की। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील 2012 में प्रस्तुत की जो स्पष्टरूप से मियाद बाहर प्रस्तुत की गई और प्रार्थना पत्र धारा 5 में अंकित तथ्य संतोषप्रद कारणों की श्रेणी में नही आते है। पत्रावली के दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलांट के पूर्वज प्रताप सिंह को उक्त वादगत भूमि ईंट भट्टा हेतु आवंटित की गई है या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है। जो स्पष्ट नहीं होने के कारण नियमानुसार खातेदारी अधिकार प्रदत्त नही की जा सकते है। अपीलांट को बतौर गैर खातेदारी वसीयत से भी कोई अधिकार प्राप्त नही हो सकते है। तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर ने राज्य सरकार के नियमों/आदेशों के तहत नाथूराम पुत्र श्री किसनाराम को समस्त शर्तें पूर्ण करने के पश्चात खातेदारी प्रदान की है। रेस्पोडेन्ट की लिखित बहस में प्रस्तुत दृष्टांत काफी हद तक चस्पा होते है। उपरोक्त विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है और तहसीलदार(राजस्व) बीकानेर को निर्देशित किया जाता है कि रिकॉर्ड में खातेदारी का विधिसम्मत अंकन किया जावें।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 27.01.2026 का लिखिवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर